पर्यटन विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा कसया, जनपद–कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय,कुशीनगर की अध्यक्षता में दिनांक 17.2.2010 को कसया हवाई पट्टी, कुशीनगर में सम्पन्न हुई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त ।

पर्यटन विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा कसया, जनपद–कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। पर्यटन विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 1533 दिनांक 14.9.2006में वर्णित प्राविधानों के तहत लोक सुनवाई, जिलाधिकारी महोदय,कुशीनगर की अध्यक्षता में दिनांक 17.2.2010 को प्रातः 10:00 बजे कसया हवाई पट्टी, कुशीनगर में प्रारम्भ हुई । लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गई।

1. लोक सुनवाई के सम्बन्ध में सर्वप्रथम श्री पी0के0 सिंह,उप निदेशक पर्यटन,गोरखपुर ने लोक सुनवाई में उपस्थित मंचासीन अतिथियों एवं जनमानस का स्वागत किया। तत्पश्चात उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री कौशल किशोर ने लोक सुनवाई पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार एअर पोर्ट की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव लोक सुनवाई प्रक्रिया के अंतर्गत आच्छादित होता है।

2. पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0 ओ0 1533 दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अनुसार लोक सुनवाई के सम्बन्ध में विज्ञप्ति उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 16.01.2010 को दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण'(हिन्दी समाचार पत्र) एवं दिनांक 17.1.2010 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (अंग्रेजी समाचार पत्र) में प्रकाशित करायी गयी थी तथा आक्षेप/सुझाव/आपत्ति विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर आमंत्रित किये गये थे। प्रस्तावित परियोजना के सुझाव/आक्षेप/आपत्ति हेतु ।जिलाधिकारी, कुशीनगर, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कुशीनगर, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,गोरखपुर तथा उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ के कार्यालय में कार्यात्मक सारांश रिपोर्ट जन मानस को पढ़ने हेतु में रखी गयी थी, परन्तु उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

3. पर्यटन विभाग उ0प्र0 सरकार के कन्सल्टेन्ट मेसर्स इन्फ्रास्ट्क्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज –इन्फ्रास्ट्क्चर डेवलप्मेन्ट कार्पोरेशन लि0, गुड़गांव, हरियाणा द्वारा नियुक्त मेसर्स एस0इ0एन0इ0एस0 कंसलटेन्ट इण्डिया प्रा0 लि0 के प्रतिनिधि श्री आयन मजूमदार, प्रबन्धक एवं श्री नाजिम ने अवगत कराया कि उ0प्र0 सरकार ने पर्यटन विभाग को कसया, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा विकसित करने तथा बौद्ध सर्किट के समेकित विकास की जिम्मेदारी दी है। परियोजना का माडल सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड के अनुसार डिजाइन निर्माण वित्त संचालन एवं स्थानान्तरण पर आधारित होगा। इन्फ्रास्ट्क्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज – इन्फ्रास्ट्क्चर डेवलप्मेन्ट कार्पोरेशन लि0, द्वारा नियुक्त मेसर्स एस0इ0एन0इ0एस0 कंसलटेन्ट इण्डिया प्रा0 लि0 ने त्वरित पर्यावरण प्रभाव आंकलन (रैपिड इन्वारमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट) अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार किया गया है। रैपिड इन्वारमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट का उद्देश्य है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण व संचालन तथा इसके साथ–साथ चलने वाले अन्य क्रिया–कलापों के कारण पर्यावरण पर पड़ सकने वाले प्रभावों की प्रकृति तथा मात्रा के बारे में जानकारी हो सके। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ विकास कार्य किये जायें तथा कार्य स्थल के आस–पास के पर्यावरण एवं जन–स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

4. परियोजना का उद्देश्य–

बौद्ध धर्म दुनिया का चौथा बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायियों की संख्या लगभग 48 करोड़ है जो विश्व की कुल जनसंख्या का 6 प्रतिशत है। भगवान बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया था तथा यही पर उनका अंतिम संस्कार भी यही हुआ था। इसलिए इस स्थल का महत्व और बढ़ जाता है। कुशीनगर

....2 /–

में लगभग 40000 बौद्ध पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं किन्तु विदेशों से पर्यटकों के आवागमन की सुविधा न होने के कारण पर्यटकों की संख्या में आशातीत वृद्धि नहीं हो रही है। पूर्वांचल के इस क्षेत्र के लगभग 1 लाख से अधिक व्यक्ति खाड़ी देशों में कार्य करते हैं, जिनका नियमित आना–जाना बना रहता है। वर्तमान में हवाई स्थापना सुविधाओं के अभाव में ऐसे व्यक्तियों को लखनऊ,दिल्ली,कोलकाता या मुम्बई से होकर अपने गन्तव्य स्थान तक जाना पड़ता है। उ0प्र0 सरकार ने बौद्ध परिपथ एवं पूर्वांचल के विकास को ध्यान में रखते हुए कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिससे चीन,जापान,कोरिया,थाईलैण्ड,म्यामार,श्रीलंका,वियतनाम,लाओस आदि देशों से सीधे पर्यटक एवं खाड़ी देश में रोजगार के लिए जाने वाले क्षेत्रीय लोग सीधे कुशीनगर पहुँच सकेंगे। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित होने से एक ओर जहाँ क्षेत्र का विकास होगा वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के लोग जो विदेशों में रोजी रोटी/रोजगार की तलाश में गये हैं, उनके आवागमन की सुविधा निकटतम दूरी पर प्राप्त होगी। इससे पूर्वांचल के निवासियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।

5. प्रस्तावित परियोजना की प्रमुख विशेषताएं :–

प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर से लगभग 5.0 किलोमीटर दूरी पर स्थित कसया में कुल लगभग 753.285 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 550.476 एकड़ क्षेत्रफल संचालन कार्य के लिए तथा शेष 202.809 एकड़ वाणिज्यिक विकास के लिए सुरक्षित रहेगा। वर्तमान में उ0प्र0 नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के स्वामित्व में 97.238 एकड़ क्षेत्रफल में एक चालू हवाई पट्टी (1750 मीटर लम्बी एवं 27 मीटर चौड़ी) है। इस मौजूदा हवाईपट्टी के आस–पास के 13 गांवों (पतया, परसहवा, नीबी, बेलवा दुर्गा राय, बेलवा रामजस दूबे, नरकटिया खुर्द, मिश्रौली, शाहपुर, भलुही मदारी पट्टी, बिसुनपुर बिन्दवलिया , नकहनी, नरायनपुर तथा खोराबार ये सभी गांव कसयां तहसील के अंतर्गत स्थित) की लगभग 453.238 एकड़ अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण करना होगा।

प्रस्तावित परियोजना की प्रमुख विशेषताएं सारांश में निम्नवत् हैं:–

कुल वांछित भूमि	:	753.285 एकड़ (वर्तमान स्टिप सहित)
परियोजना की कुल लागत	:	लगभग रू0 829.00 करोड़
वर्तमान वायु पट्टी	:	कसया में उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की गैर अनुसूचित उड़ानों के लिए 97.238 एकड़ फंक्शनल एयरस्टिप
विमानपत्तन के विकास के लिए वांछित अतिरिक्त भूमि	:	453.238 एकड़ वर्तमान एयरस्टिप के चारों ओर
व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए वांछित भूमि	:	202.809 एकड़
यात्री संभार क्षमता	:	10.00लाख यात्री प्रतिवर्ष–लगभग 5लाख यात्रियों द्वारा हवाई अड्डे के उपयोग से आरम्भ
उड़ानों की संख्या	:	आरम्भिक वर्षों में 9 से 11 उड़ानें प्रतिदिन से लेकर 10वें वर्ष तक में 20 से 22 उड़ानें प्रतिदिन
संचालन की उपयुक्तता	:	सभी नैरो–बॉडी एयरक्राफ्ट तथा कुछ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट (B737, AB310/ AB330 एवं A320 इत्यादि) तथा कभी–कभी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे B747
रनवे की लम्बाई	:	3200 मीटर लम्बा, 45 मीटर चौड़ा एकल रनवे
प्रमुख सुविधाएँ	:	परिचालन सहायता, ऐप्रन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, टर्मिनल बिल्डिंग, एटीएफ स्टोरेज, कंट्रोल टावर, सहायक सुविधाओं– जैसे सर्विस ब्लॉक, कारपार्क, टैक्सी स्टैंड, बस डिपो, पहुँच मार्ग, इत्यादि–सहित रनवे/टैक्सीवे
सामान्य सुविधाएँ	:	सुरक्षा प्रणाली, अग्निशमन प्रणाली, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट,

...3/–

		स्टॉर्म वाटर नेटवर्क, पावर सब–स्टेशन क्षेत्र, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, डाटा नेटवर्किंग सिस्टम, दूरसंचार प्रणाली, पब्लिक ऐड्रेसल सिस्टम, उड़ान सूचना प्रदर्श, रेस्तरॉ, अल्पाहार काउंटर्स, पैन्ट्रीज, वी.आई.पी. लाउंज, चाइल्डकेयर रूम, विकलांगों के लिए शौचालय, इत्यादि।
वणिज्यिक सुविधाएं	:	थीम पार्क, हरित क्षेत्र, होटल, मार्केट प्लेस, मोटल, फ्यूल स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, मिशन बिल्डिंग्स, कन्वेंशन सेन्टर, पुलिस स्टेशन, पावर सबस्टेशन, इत्यादि।
वांछित जल निर्माण चरण में	:	18 किली. प्रतिदिन घरेलू खपत–मजदूरों के लिए (भूजल)
वांछित जल संचालन के चरण में	:	कुल वांछित जल 460 किली. प्रतिदिन है। एयरपोर्ट के लिए साफ वांछित जल 145 किली. प्रतिदिन है जिसे भूजल से पूरा किया जाएगा। जल की शेष आवश्यकता परिशोधित अपशिष्ट जल से पूरी की जाएगी।
अपशिष्ट जल का सृजन	:	
निर्माण चरण में	:	15 किली. प्रतिदिन
संचालन के चरण में	:	315 किली. प्रतिदिन
सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की क्षमता	:	सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की कुल क्षमता लगभग 375किली. प्रतिदिन (फ्लूडाइज्ड मीडिया रिऐक्टर प्रोसेस) होगी
ठोस अपशिष्ट का सृजन	:	
निर्माण चरण में	:	0.2 टन प्रतिदिन म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट
संचालन के चरण में	:	1.5 टन प्रतिदिन म्यूनिसिपल सालिड वेस्ट एयरपोर्ट के अन्दर (कम्पोस्ट प्लांट में परिशोधित)
पार्किंग सुविधा	:	250 कारों एवं 15 बसों के लिए सरफेस पार्किंग
वांछित उर्जा	:	3 मेगावाट
पवर बैक–अप	:	3 डी.जी. सेट्स–प्रत्येक 1250 के.वी.ए. क्षमता का
काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या	:	लगभग 300
ईधन भण्डारण क्षेत्र	:	21588.62 वर्गमीटर (5.33 एकड़)

6. परियोजना की आवश्यकता एवं लाभः–

पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे पावन स्थलों में लुम्बिनी,बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर को गिना जाता है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की समाधि स्थित है। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपना अन्तिम उपदेश दिया था और भगवान बुद्ध का पद प्राप्त किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की निर्वाणस्थली होने के कारण भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों की आवाजाही अक्सर होती रहती है। कुशीनगर के लिए समुचित परिवहन सुविधा के अभाव में पर्यटकों की संख्या सीमित रह जाती है और इस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गंतव्य के रूप में इसकी संभावना भी। कुशीनगर का निकटतम हवाईअड्डा गोरखपुर में कुशीनगर से लगभग 44 किलामीटर की दूरी पर स्थित है। यह हवाई अड्डा एक सैनिक हवाई अड्डा है तथा उपलब्ध स्थान भी बहुत कम है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कुशीनगर में पहले से ही उ0प्र0 नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधीन संचालित एयरस्ट्रिप को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकास की योजना रूपांकित एवं प्रस्तावित की गयी है। अनुमान है कि लगभग 4,42,902पर्यटकों की आवा–जाही प्रतिवर्ष होगी।

कुशीनगर के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से निम्नलिखित लाभ होंगेः–

6.1 इस क्षेत्र में और अधिक वायु यातायात की मांग पूरी होगी।

....4 /–

6.2 देश–विदेश के बौद्ध तीर्थयात्रियों को सभी बौद्ध सर्किटों में सीधे यात्रा कर सकने की सुविधा मिलेगी।

6.3 मध्य पूर्व के देशों में काम कर रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अधिकांश लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी।

6.4 दिल्ली जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो पर दबाव कम होगा और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटकों को अनावश्यक यात्राएं नहीं करनी पडेंगी।

6.5 प्रस्तावित हवाई अड्डा के कार्य–संचालन से विदेशी मुद्रा के रूप में अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी।

6.6 प्रस्तावित हवाई अड्डा एवं उससे जुड़े विकास कार्यो के कारण रोजगार के अतिरिक्त क्षेत्र खुलेंगे।

6.7 क्षेत्र में वायु यातायात की बढ़ी हुई मॉग एवं उसके फलस्वरूप होने वाले विकास–कार्यो के कारण जिले एवं क्षेत्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।

6.8 स्थानीय लोगों का जीवन–स्तर उँचा उठेगा।

प्रस्तावित परियोजना स्थल पर तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाये रखने हेतु पर्याप्त हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा। जिससे प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। हरित पट्टिका के विकास के कारण जीव–जन्तुओं एवं वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि पेड़–पौधे, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के लिए अवशोषक का काम करेगी। प्रस्तावित परियोजना के संचालन के फलस्वरूप जनित होने वाले उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु फ्लूडाइज्ड मीडिया रिएक्टर पर आधारित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की स्थापना की जायेगी। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को फ्लशिंग, डी0जी0सेट कूलिंग, आग पर काबू करने, एच.वी.ए.सी. मेकअप एवं स्थलीय सौन्दर्यवृद्धि के उद्देश्य से रिसाइकिल किया जायेगा। एस0टी0पी0 में परिशोधित किये जाने से पहले बहुत कम मात्रा में तैलीय अपशिष्ट वाले प्रवाहियों को अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (API) सेपरेटर में भेज दिया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना परिसर से बाहर अपशिष्ट जल का निस्तारण नहीं किया जायेगा । इससे स्थल के आस–पास के जल श्रोतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। संचालन चरण के दौरान स्टार्म वाटर रूफ टाप क्षेत्रों, फर्शदार क्षेत्रों तथा खुले क्षेत्रों से प्रभावित होगा। रूफ टाप वर्षा जल संग्रहण के लिए भवनों में हार्वेस्टिंग योजना तैयार की जायेगी। फर्शदार एवं खुले क्षेत्रों से वर्षा जल का संग्रहण स्टार्म वाटर नालियों के माध्यम से किया जाएगा और उसे वर्षा जल हार्वेस्टिंग संरचना में एकत्र किया जायेगा। लगभग 18,62,150घनमीटर वार्षिक स्टार्म वाटर हार्वेस्ट किया जायेगा। पहले ये अनुमान लगाया गया कि काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी पूर्ति धरातलीय जल से की जायेगी। अतः ये अनुशंसा की जाती है कि कर्षित जल के पुनः भराव के लिए विमानपत्तन के अंतर्गत धरातलीय जल रिचार्ज संरचना का विकास किया जाये। एअरक्राफ्ट के धुओं से सम्भावित वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एअरक्राफ्टों का संचालन आई.सी.ए.ओ. (अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) के मानकों के अनुसार किया जायेगा, जिससे कि उत्सर्जन को निर्धारित सीमा में रखा जा सके। डी.जी.सेटों के एक्झास्ट पर संलग्न चिमनी की उँचाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जायेगी तथा डी0जी0सेट के संचालन से फैलने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोक–थाम हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर/कैनोपी की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। प्रस्तावित विमानपत्तन पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा एअरपोर्ट शोर के प्रबन्धन के लिए दिये गये सुझावों जैसे :– विमानों की ध्वनि को श्रोत स्तर पर कम करना, भूमि उपयोग का नियोजन, संचालन प्राविधियों में फेरबदल, बहुत शोर करने वाले विमानों के उपयोग पर सीमाएं लागू करना एवं संग्राहकों (रिसेप्टर) एवं श्रोत के बीच ध्वनि अवरोधक का प्रयोग किया जायेगा।

संचालन चरण के दौरान, सामाजिक–आर्थिक संरचना को सम्पूर्णतावादी दृष्टिकोण से नवीकृत करने की योजना है। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, विमानपत्तन के कार्यसंचाल से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, आसपास के शिक्षित लोगों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर एप्रेंटिस कोर्स इत्यादि के माध्यम से नियुक्त करने की सम्भावना तलाशी जायेगी। विधवाओं, विकलांगो एवं कमजोर वर्ग के लोगों को विशेष सहायता एवं वित्तीय उपजीविका दी जाएगी। एयरपोर्ट एवं वाणिज्यिक सुविधाओं के संचालन के साथ, सड़कनिर्माण, व्यावसायिक अवसर (जैसे– टूर,आपरेटर्स, होटल एवं रेस्तरॉ, टूरिस्ट गाइड, मनोरंजन केन्द्र,

स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सेवाओं, इत्यादि) के विकास के कारण आय–प्राप्ति के साधन भी बढ़ेंगे। परिणामतः आस–पास के लोगों का जीवन–स्तर विकसित होगा।

परियोजना के समस्त नियोजन, निर्माण एवं संचालन चरणों में किसी भी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त उपाय काम में लाये जायेंगे तथा क्षेत्र का निरन्तर विकास सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना के निर्माण एवं संचालन के समय पर्यावरण प्रबन्ध योजना में वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रबन्धन, ध्वनि प्रदूषण एवं प्रबन्धन, उत्प्रवाह शुद्धिकरण एवं प्रबन्धन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, उर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण व स्थलीय सौन्दर्यवृद्धि, स्टार्म वाटर प्रबन्धन, आकस्मिक स्थितियों के लिए आपदा योजनाएं, पर्यावरण प्रबन्धन प्रणाली एवं पर्यावरण की निगरानी आदि का समावेश किया जायेगा। पर्यावरण प्रबन्ध योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रस्तावित परियोजना स्थल पर एक पर्यावरण प्रबन्ध प्रणाली स्थापित की जायेगी, जिसमें पर्यावरण प्रबन्धन प्रकोष्ठ, पर्यावरण अनुश्रवण कार्यक्रम, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, नियमित पर्यावरण आडिट एवं सुधारात्मक उपाय, प्रलेखन–आदर्श संचालन प्रविधि, पर्यावरण प्रबन्ध योजनाएं एवं अन्य आंकलन आदि तत्व शामिल होंगे।

पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन के आधार पर, पर्यावरण से सम्बन्धित सभी सम्भावित पहलुओं का पर्याप्त मुल्यांकन किया गया है तथा इन्वारमेन्टल इम्पैक्ट असेसमेन्ट–इन्वारमेन्टल मैनेजमेन्ट प्लान में वैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक नियंत्रक उपाय किये गये है। इस परियोजना से कुशीनगर जिले के विकास को गति मिलेगी।

अन्त में मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज – इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0,एस0इ0एन0इ0एस0 कन्सलटेन्ट इण्डिया (प्राइवेट) लि0, पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा लोक–सुनवाई में प्रतिभाग कर रहे जनसमुदाय द्वारा उक्त परियोजना की स्थापना से संबंधितं उठाये गये प्रश्नों/समस्याओं के निराकरण हेतु परियोजना में प्रस्तावित व्यवस्थाओं आदि के बारे में उत्तर दिया गया। लोक सुनवाई में उपस्थित किसी भी जनमानस द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं एवं उनके निदान से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया। पर्यावरण के अतिरिक्त अन्य पूछे गये प्रश्नों का उत्तर निम्नवत् है:–

प्रश्न–श्री सुभाष राय,निवासी ग्राम नकहनी ने पर्यावरण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं व्यक्त की। उन्होंने पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण हेतु अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के मध्य कई मार्ग हैं। परियोजना के क्रियान्वयन के कारण जो मार्ग अवरुद्ध हो जायेंगे, आवागमन की सुविधा हेतु कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी?

उत्तर– जिलाधिकारी महोदय ने जन समुदाय को अवगत कराया कि जो रास्ते हवाई पट्टी से होकर गुजरते हैं उसको चालू रखने के लिए लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी सर्वे कर रहे हैं तथा परियोजना स्थल के बाहर से ग्रामवासियों के आवागमन हेतु मार्ग/सड़क उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रश्न– श्री रमाशंकर दूबे निवासी मदारी पट्टी ने अधिगृहीत भूमि के बारे में जानकारी चाही।

उत्तर–जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हेतु जितनी भूमि की आवश्यकता है उसको चिन्हित कर मानचित्र बना लिया गया है जिसे अधिसूचना प्रकाशित होने पर अध्यापि कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रश्न– श्री वीरेन्द्र प्रताप गौड निवासी कसया ने अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के संबंध में जानना चाहा।

उत्तर–जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि मुआवजे की रकम प्राप्त हो गई है जो भूमि अधिगृहीत की जायेगी प्रभावित किसानों को राज्य सरकार द्वारा करार अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत समुचित मुआवजा प्रदान करने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न–श्री दिग्विजय नाथ गौड़ ने जानना चाहा कि सरकार जब भूमि अधिगृहीत कर रही है तो आम जनता को कोई सूचना नहीं दी गई।

उत्तर–जिलाधिकारी ने बताया कि यह बात सत्य नहीं है। इसके पूर्व कुशीनगर की यात्रा पर आये श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सचिव पर्यटन/महानिदेशक पर्यटन,उ0प्र0 से भी किसान उनसे मिले थे। उस समय श्री अवस्थी ने आम जनता को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी दिये थे तथा आम जनता को अपने संपर्क दूरभाष संख्या को भी नोट कराये थे।

प्रश्न–श्री चन्द्रभूषण मिश्रा निवासी बेलवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण से प्रभावित भूमि के मुआवजे की दर के बारे में जानकारी चाही।

उत्तर– अपर जिलाधिकारी(वि/रा),कुशीनगर ने अवगत कराया कि सरकार द्वारा किसी भूमि को लेने के लिए करार अधिनियम बनाया गया है। करार अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत किसानों एवं प्रशासन के बीच वार्ता कर मुआवजे की धनराशि तय की जायेगी।

अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपर जिलाधिकारी(वि/रा), कुशीनगर द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित आम जनमानस, प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया, विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की।

17/2/2010

(इं0 कौशल किशोर)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गोरखपुर

(जयन्त दीक्षित)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
कुशीनगर

17/02/10

(एस0वी0एस0 रंगाराव)
जिलाधिकारी,
कुशीनगर

Page No.
Date :

भाग उ०प्र० द्वारा कसया, जनपद-कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे [illegible] पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड [illegible] सम्बन्ध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा [illegible] 14.9.2006 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर [illegible] पर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में दिनांक [illegible] को कसया हवाई पट्टी, कुशीनगर में सम्पन्न हुई लोक सुनवाई [illegible] अधिकारीगण /जन समूह की उपस्थिति।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
	श्री एस० डी० एस० रेगारात	जिलाधिकारी, कुशीनगर	
1-	श्री जयन्त दीक्षित	अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कुशीनगर	
2-	श्री वी० एल० मौर्या	उपजिलाधिकारी, कसया, कुशीनगर	
3-	श्री कौशल किशोर	सहायक अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड गोरखपुर	
4-	श्री पी० के० सिंह	उपनिदेशक, पर्यटन विभाग, गोरखपुर	
5-	सत्यराज आर्य	ग्राम प्रधान रामपुर कसया कुशीनगर	सत्यराज आर्य
6-	सुजीत गुप्ता	ग्राम प्रधान [illegible]	
7-	जाफर अली शाह	ग्राम पंचायत पा० अहरौली बाजार कुशीनगर	
8-	बटेश्वर	ग्राम पंचायत	बटेश्वर
9-	राजेन्द्र प्रसाद	ग्राम पंचायत	राजेन्द्र प्रसाद
10-	[illegible]	[illegible]	
11-	[illegible]	[illegible]	
12-	[illegible]	[illegible]	
13-	[illegible]	[illegible]	
14-	[illegible]	[illegible]	
15-	[illegible]	[illegible]	
16	[illegible]	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]	
18	[illegible]	[illegible]	
	विश्वास चन्द्र	प्रोजेक्ट मैनेजर, LGFS	
20	[illegible]	पटना कुशीनगर	[illegible]
21-	[illegible]	पटना/ कुशीनगर	[illegible]
22-	प्रमोद कुमार	पटना कुशीनगर	प्रमोद
23	विजय कुमार प्रजापति	बेलवा कुशीनगर	विजय
24-	रामधरी पासवान	नकहनी कुशीनगर	रामधरी
25-	महेन्द्र पासवान	नकहनी कुशीनगर	महेन्द्र पासवान
26-	प्रिन्स यादव	बेलवारामपुर	प्रिन्स यादव
27	प्रभात रंजन सिंह	उद्योग जिला उद्योग केन्द्र कुशीनगर	
28	[illegible]	प्रधानाचार्य, [illegible] कुशीनगर	

	[illegible] कुमार राय	[illegible] (कुशीनगर)	
30	[illegible] कुमार	[illegible]	
31	[illegible] कुमार त्रिपाठी	[illegible] गांधी, कुशीनगर	
32	[illegible] राम	[illegible]	
33	[illegible]	G.B.M. Kushinagar	
34	[illegible]	[illegible]	
35	[illegible]	[illegible]	
36	[illegible]	[illegible]	
37	[illegible] मिश्र	[illegible]	
38	[illegible]	[illegible]	
39	[illegible]	[illegible]	
40	[illegible]	[illegible]	
41	[illegible]	[illegible]	
42	[illegible]	[illegible]	
43	[illegible]	[illegible]	
44	[illegible] कुमार गौड़	[illegible]	
45	[illegible]	[illegible]	
46	[illegible]	[illegible]	
47	[illegible]	[illegible]	
48	[illegible]		
49	[illegible]	[illegible]	
50	श्री [illegible] कुमार	पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर	
51	[illegible]	[illegible]	
52	[illegible]	[illegible]	
53	[illegible]	[illegible]	
54	[illegible]	[illegible]	
55	[illegible]	[illegible]	
56	[illegible]	[illegible]	
57	[illegible]	[illegible]	
58	श्रीमती [illegible]	[illegible]	
59	[illegible] गोविन्द राव	[illegible], [illegible], गोरखपुर	